



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-308/2022

दिनांक- 18-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति
थाना जीयनपुर

चेकिंग के दौरान अवैध तमन्चा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक- 19/09/2022 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त गोबिन्द कुमार पुत्र टिल्लू राम निवासी मनिकाडीह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को खिल्लू पट्टी नहर पुलिया वहद ग्राम गडौरा मझौरा के पास से समय 11.55 AM बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-581/2022 धारा- 3/25 आर्म्स Act. थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0-581/2022 धारा- 3/25 आर्म्स Act. थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी -

एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोद व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त -

गोबिन्द कुमार पुत्र टिल्लू राम निवासी मनिकाडीह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ.नि. रामगोपाल त्यागी का0 अनिल कुमार चौधरी थाना जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।

थाना- बरदह

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 08.09.22 को वादी रमायन पुत्र स्व0 धनेश्वर सा0 उमरी गनेशपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 156(3) CRPC थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 23/22 धारा 302/34 भादवि बनाम 1. अजय पुत्र तेजू आदि 07 नफर साकिनान ग्राम भैंसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया था ।

दिनांक 18.9.22 को प्र0नि0 संजय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय पुत्र तेजू ग्राम भैंसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर पर दबिश देकर समय करीब 12.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया एवं नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया ।
अपराध का तरीका- अभि0 द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित कर आत्म हत्या के लिए प्रेरित करना

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 23/22 धारा 498A/306 भादवि 3/4 DP Act थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त -

अजय पुत्र तेजू ग्राम भैंसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

प्र0नि0 श्री संजय सिंह हे0का0 विहंगल यादव का0 सौरभ सिंह का0 राजेन्द्र कुशवाहा का0 आशुतोष कुमार म0आरक्षी मनीषा यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

चोरी की 02 मोबाइल व अवैध तमन्चा कारतूस .315 बोर के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- राजेश पुत्र बलभद्र निवासी भीखमपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ ने दिनांक 17.09.22 को थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि मेरी मोबाइल माडल वीओ चोरी कर ली गयी जिसका MI NO - 869453xxxxxxx है । जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी है। अब तक अपनी मोबाइल के बारे मे जानकारी करता रहा तो आज जानकारी मिली की मनीष कुमार पुत्र फूलचन्द्र राम निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ व उसके दो तीन साथियो द्वारा मेरी मोबीइल चोरी की गयी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:

उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह जहानागंज के साईं ढाबा के पास मौजूद थे कि सूचना मिली कि 03 व्यक्ति भुजही पुलिसिया के पास मौजूद है ये लोग मोबाईल बेच रहे है तथा एक के पास नजायज तमंचा भी है, तत्काल उप-निरीक्षक मय हमराह द्वारा भुजही पुलिसिया के पास पहुंचे जहां से उन तीनों व्यक्तियों को घेर मार कर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियों की नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम सुशील पाण्डेय पुत्र स्व0 शिवदास पाण्डेय निवासी धरमपुर (असलपुर) उम्र करीब 27 वर्ष थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया जिसके पास से एक अदद मो0 रेडमी 9A नीले रंग का बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम मनीष कुमार पुत्र फूलचन्द राम निवासी भुजही उम्र 26 वर्ष करीब थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया जिसके पास से एक अदद मो0 विवो बैगनी भूरे रंग का बरामद हुआ और तीसरे व्यक्ति से नाम पूछा गया तो अपना नाम शिवम यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बताया जिसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उपरोक्त अभियुक्तों को दिनांक 17.09.22 को समय 17.30 बजे भुजिया पुलिसिया से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मैं और मेरे साथी मनीष कुमार S/O फूलचन्द राम निवासी भुजही व शिवम यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने मिलकर दिनांक 19.07.2022 को समय करीब 6 बजे शाम को मुहासील चट्टी के दुकान से एक व्यक्ति की जेब से मैंने निकाल कर मनीष को दे दिया मनीष ने शिवम को दे दिया जो वहा से तुरन्त चला गया था साहब हम तीनों मिलकर आपस में योजना बनाकर इस तरह घटना कारित करते है और बाद में चोरी की गयी मो0 को बेच कर आपस में पैसा बांट लेते है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 385/22 धारा 379/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 386/22 धारा 379/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 388/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सुशील पाण्डेय पुत्र स्व0 शिवदास पाण्डेय निवासी धरमपुर (असलपुर) उम्र करीब 27 वर्ष थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मनीष कुमार S/O फूलचन्द राम निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. शिवम यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1. एक अदद मो0 रेडमी 9A नीला रंग (अभियुक्त सुशील पाण्डेय)
2. एक अदद मो0 विवो बैगनी भूरे रंग (अभियुक्त मनीष कुमार)
3. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त शिवम यादव)

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1-प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह उ0नि0 सन्तोष कुमार उ0नि0 ओमप्रकाश थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- का0 शिवध्यान पाण्डेय का0 ऋषि कुमार का0 ओमप्रकाश यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- बिलरियागंज

जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 18.09.2022 को मय फोर्स द्वारा चेकिंग वाहन के जैगहा बाजार में मौजूद थे कि सूचना मिली की एक जिला बदर अपराधी तारिक जो बिन्दवल का रहने वाला हैं, जयराजपुर की तरफ से जैगहा की तरफ पैदल आ रहा उसके पास नाजायज गांजा भी हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा जैगहा से प्रस्थान कर जगमलपुर मोड़ के पास पहुँचकर आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कि वही पर तब तक एक व्यक्ति जयराजपुर की तरफ से पैदल आता दिखाई दिया जिसे घेर घारकर जगमलपुर जाने वाले रास्ते के पास से पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम तारिक पुत्र कुदूस सा0 बिन्दवल थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया जिसे धारा 50 एन डी पी एस एक्ट के प्राविधानो के अनुसार अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से नाजायज 1 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद हुआ, अभियुक्तों को समय 08.40 AM बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त

तारिक पुत्र कुदूस निवासी ग्राम बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 205/2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 206/2022 धारा 10 गुण्डा नि0अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 44/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 131/2020 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

मु0अ0सं0 286/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 420 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी स्थान

जगमलपुर रोड वहद ग्राम जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

SO विजय प्रकाश मौर्य का0 धीरज त्रिपाठी का0 संतोष कुमार यादव का0 दीपक कुमार का0 राकेश तिवारी का0 अनिल यादव म0का0 ललिता सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना- मुबारकपुर

04 चोरी की मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना-

➔ दिनांक 29.01.2020 को वादी मुकदमा आफताब अहमद पुत्र श्री अरमान अहमद निवासी: मुहल्ला-बाजबहादुर, थाना कोतवाली, जनपद-आजमगढ़ द्वारा जरिये On line मुकदमा बाबत सालाना उर्स मेला अशर्फिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर पर मेला देखने आया था कि उसी दौरान आवेदक का वाहन UP 50AQ 4364 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी जिसके आधार पर On line मु0अ0सं0 21/2020 धारा 379 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत हुआ ।

➔ दिनांक 15.09.2022 को वादी मुकदमा मुहम्मद हमजा पुत्र इरशाद अहमद साकिन मोहल्ला- पुरानी बस्ती, थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिये कि दिनांक 11.09.2022 को समय शाम 5.30 बजे से 06.00 बजे के मध्य रोडवेज मैरेज हाल के पास से आवेदक की मो0सा0 हिरो होण्डा सुपर स्पेलेन्डर मोटर साइकिल रजि0 नं0 UP50AF1033 व एक उनके मित्र राम उपाध्याय की मो0सा0 रजि0 नं0 UP50AC6160 चोरी हो गयी है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 289/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत हुआ ।

➔ दिनांक 14.09.2022 को थाना कोतवाली पर वादी मुकदमा श्री जगदीश राजभर पुत्र रघुबर निवासी सादीपट्टी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिवानी कचहरी आजमगढ़ से दिनांक 12.09.2022 को आवेदक की मो0सा0 होण्डा सुपर रजिस्ट्रेशन नं0 – UP 50AD6068 को समय 11 बजे अज्ञात चोर द्वारा चुरा ले गये जिसके आधार पर मु0अ0सं0 441/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत हुआ।

➔ गिरफ्तारी का विवरण- उ0नि0 राजीव कुमार सिंह सिंह मय हमराह पुलिस बल मय द्वितीय मोबाइल के साथ अली नगर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी कि सूचना मिली कि 02 सातिर चोर सिकठी शाह मुहम्मदपुर की तरफ से टडिया होकर गुजरपार जाने वाले है कि सूचना पर थाना मुबारकपुर पुलिस टीम टडिया मोड पर घेराबन्दी कर 02 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया मौके पर एक मो0सा0 बरामद किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा बताये हुए स्थान से और 03 मो0सा0 बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों को समय प्रातः 07.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान:- टडिया चौराहा थाना मुबारकपुर, गिरफ्तारी का समय- प्रातः 07.35 बजे दिनांक 18.09.2022

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मो0 आमिर पुत्र कमालुद्दीन सा0 सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. सुबाष राम पुत्र स्व0 सूर्यबली सा0 रसुलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:- तीन अदद चोरी की मो0सा0 व एक अदद मो0सा0 के खुला पार्ट

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम दोनो एक साथ शहर व मुबारकपुर से अक्सर मो0सा0 को चुरा कर उसके पार्ट को खोलकर जिस ग्राहक को जिस पार्ट की जरूरत होती है उसको बेचते है तथा मो0सा0 के नम्बर प्लेट को बदलकर चलाते है किसी व्यक्ति को औने पौने दाम में बेचते है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 292/2022 धारा 411,413,419,420,467 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मो0 आमिर पुत्र कमालुद्दीन सा0 सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 390/2016 धारा 379,411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 112/2019 धारा 147,323,336,427,504,506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 136/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 21/2020 धारा 379,411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

5.मु0अ0सं0 289/2022 धारा 379,411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

6.मु0अ0सं0 441/2022 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

7. मु0अ0सं0 292/2022 धारा 411,413,419,420,467 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुबाष राम पुत्र स्व0 सूर्यबली सा0 रसुलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 21/2020 धारा 379,411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
 2. मु0अ0सं0 289/2022 धारा 379,411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
 3. मु0अ0सं0 441/2022 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
 4. मु0अ0सं0 292/2022 धारा 411,413,419,420,467 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह, हे0का0 विक्रमादित्य सिंह, हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह, का0 सदाम हुसैन अंसारी, का0 सुजीत यादव, का0 अश्वनी गुप्ता थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज
गैंगेस्टर एक्ट में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – गैंग लीडर अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष ने अपने सह अभियुक्तों / सदस्यों 2. संजय यादव पुत्र उदयभान यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष 3. अखिलेश यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष 4. अमरनाथ यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी जजमनजोत थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष 4. रवि यादव पुत्र मुरारी यादव निवासी आराजी देवारा करखिया थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर रहा है, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 20.04.21 को थाना क्षेत्र के ग्राम कुढ़ही के निवासी चन्द्रभूषण यादव पुत्र राजेन्द्र के भतीजे बिट्टू की पूर्व नियोजित तरीके से एक राय होकर कार को बार- बार चढ़ाकर हत्या कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/21 धारा 307, 504, 506 IPC उपरोक्त गिरोह के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। तमामी विवेचना व अवलोकन कागजात के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302, 34 IPC की बढ़ोत्तरी की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या A-215 दिनांक 19.07.21 को व A-215A दिनांक 30.01.22 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है। अभियुक्त अनिल के द्वारा बार-बार जमानत का दुरुपयोग किया गया है तथा पश्चावर्ती अपराध किये गये है। उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त अपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक दुनियावी लाभ पाने के लिए किया जाता है। उपरोक्त गिरोह द्वारा उक्त अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न, सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त किया जाता है। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है। गिरोह के भय व दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने, गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पाता है।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 18.09.22 को थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. संजय यादव उर्फ रवीन्द्र पुत्र उदयभान यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 3. अखिलेश यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को कुढ़ही ढाला के पास से समय करीब 07.00 बजे सुबह हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 357/22 धारा धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अनिल यादवपुत्रस्व0 जीवधन यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	122/21	302, 307, 504, 506, 34 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	282/21	174 AIPC	महाराजगंज	आजमगढ़
3.	200/2005	323,394,325 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
4.	284/2002	216 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
5.	31/2002	147,323,307,504,506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
6.	213/96	323,504,506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
7.	151/97	147,148,149,307 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
8.	102/95	323,504,506 IPC व 3(1)द SC/ST act	महाराजगंज	आजमगढ़
9.	357/22	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

अखिलेश यादव पुत्र स्व० जीवधन यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	122/21	302, 307, 504, 506, 34 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
2	200/2005	323,394,325 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
3	284/2002	216 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
4	31/2002	147,323,307,504,506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
5	213/96	323,504,506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
6	151/97	147,148,149,307 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
7	102/95	323,504,506 IPC व 3(1)द SC/ST act	महाराजगंज	आजमगढ़
8	357/22	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

संजय यादव पुत्र उदयभान यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	122/21	302, 307, 504, 506, 34 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	231/20	504, 506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
3.	357/22	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिल यादव पुत्र स्व० जीवधन यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
2. संजय यादव उर्फ रवीन्द्र पुत्र उदयभान यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
3. अखिलेश यादव पुत्र स्व० जीवधन यादव निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह उ०नि० आशुतोष मिश्रा , का० मिथिलेस पासवान, का० शिवम यादव, , का० सुबाषचन्द्र यादव, का० रवीन्द्र यादव, का० रतीश तिवारी , म०का० प्रिया सिंह व म०का० मधुबाला यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ जनपद का टापटेन अपराधी/ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार; आधा दर्जन मुकदमें दर्ज ।

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – उ०नि० सुभाष तिवारी द्वारा थाना स्थानीय पर एक किता फर्द बाबत अभियुक्त बम्हानन्द यादव उर्फ नंगा पुत्र लालजी सा- ठुठवा मुस्तफाबाद थाना मेहनगर आजमगढ़ के पास से एक अदद तमन्चा.303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस (.303बोर) प्रतिबन्धित बोर बरामद होने के सम्बन्ध मे दाखिल किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर क्रमशः मु०अ०स० 289/22 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि० बनाम बम्हानन्द यादव उर्फ नंगा पुत्र लालजी सा- ठुठवा मुस्तफाबाद थाना मेहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया

दिनांक- 17.09.2022 को उ० नि० सुभाष तिवारी मय हमराह को सूचना मिली कि अभियुक्त बम्हानन्द यादव उर्फ नंगा पुत्र लालजी सा- ठुठवा मुस्तफाबाद थाना मेहनगर आजमगढ़ को मगई नदी पुल के पश्चिमी छोर के पास से समय करीब 21.45 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के पास से एक अदद तमन्चा.303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस (.303बोर) प्रतिबन्धित बोर का बरामद किया गया गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त वर्तमान समय मे आपराधिक गतिविधियों मे सक्रिय /सम्मिलित था इसके आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के टाप टेन आपराधियों की सूची में शामिल किया गया ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय – मगई नदी पुल का पश्चिमी छोर समय करीब 21.45 बजे दिनांक 17.9.22

पंजीकृत अभियोग – मु० अ० सं० 289/22 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि० थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त थाना स्थानीय का एचएस है जिसका नम्बर 137 ए है

(क)- मु० अ० सं० 28/15 धारा 147,148,149,302,120बी भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़

(ख) मु० अ० सं० 256/16 धारा 147,148,149,323,352,504,506 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़

(ग) मु० अ० सं० 21/17 धारा 3(1)यूपी गुण्डा अधि० थाना मेहनगर आजमगढ़

(घ) मु० अ० सं० 157/20 धारा 307,41/411 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़

(ड) मु० अ० सं० 159/20 धारा 3/25/27 आयुध अधि० थाना मेहनगर आजमगढ़

(च) मु० अ० सं० 289/22 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि० थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - 1- बम्हानन्द यादव उर्फ नंगा पुत्र लालजी सा- ठुठवा मुस्तफाबाद थाना मेहनगर आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद तमन्चा.303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस (.303बोर) प्रतिबन्धित बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ० नि० सुभाष तिवारी प्र० चौकी सिंहपुर का० अमन चौधरी का० अनूप कुमार थाना मेहनगर आजमगढ़।